न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 877 / 2022
अनवान : –

1. कमलवीर सिहाग पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.7050 हैक्ट भूमि में वादीगण के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे वादीगण का नाम क्रमशः कमलवीर पुत्र कमलवीर पुत्र सुनीलकुमार व कौशल्यादेवी पत्नी सुनीलकुमार दर्ज है जो कि गलत है वादीगण का वास्तविक व सही नाम वादीगण के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी की तस्दीक के अनुसार कमलवीर सिहाग पुत्र सुरेन्द्र कुमार व कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीगण अपना सही नाम कमलवीर पुत्र सुनील कुमार के स्थान पर कमलवीर सिहाग पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के स्थान कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल पत्रावली किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस में दावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का सही नाम राजाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार दर्ज होने से वादीगण को विभिन्न

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादीगण अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम क्रमशः कमलवीर पुत्र सुनील कुमार के स्थान पर कमलवीर सिहाग पुत्र सुरेन्द्र व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के स्थान पर कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 128/112 की कुल 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम राजाराम पुत्र हरदयाल है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.7050 हैक्ट भूमि में वादीगण के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादीगण का नाम कमलवीर पुत्र सुनील कुमार के स्थान पर कमलवीर सिहाग पुत्र सुरेन्द्र व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के स्थान पर कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम क्रमशः कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमश कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:37 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 877/2022

अनवान : –

1. कमलवीर सिहाग पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 877 सन 2022 निर्णय दिनांक – 14/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.7050 हैक्ट भूमि में वादीगण के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादीगण का नाम कमलवीर पुत्र सुनील कुमार के स्थान पर कमलवीर सिहाग पुत्र सुरेन्द्र व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के स्थान पर कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम क्रमशः कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमश कमलवीर पुत्र सुनील कुमार व कौशल्या पत्नी सुनील कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 14/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:37 IST
Reason: SelfAttested